रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 526] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 4, 2019/माघ 15, 1940
No. 526] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 4, 2019/MAGHA 15, 1940

## विदेश मंत्रालय

## (भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2019

**का.आ. 641(अ).**—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निबार्ध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और कि भारत सरकार का विदेश मंत्रालय (जिसे इसके पश्चात् मंत्रालय कहा गया है) को निम्नलिखित योजनाओं (बाद में जिन्हें इसमें इसके पश्चात् योजना कहा गया है) के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् (बाद में भा.सा. सं.प. कहा गया है) के माध्यम से प्रशासित किया जाता है, परिषद् के द्वारा लागू किया जाता है केंद्रीकृत योजनाओं के तहत हैं;

| क्र.सं | योजना क नाम | योजना का प्रकार | कार्यान्वयन एजेंसी |
|---|---|---|---|
| 1. | पीठ का का प्रचार विदेश में विश्वविद्यालयों में भारतीय अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए | केन्द्रीय क्षेत्र योजना | भा.सा.सँ.प. |
| 2. | विदेश में भारत के त्यौहार | केन्द्रीय क्षेत्र योजना | भा.सा.सं.प. |
| 3. | होराइज़ोन सीरीज़ | केन्द्रीय क्षेत्र योजना | भा.सा. सं.प. |
| 4. | प्रतिमा एवं अर्ध प्रतिमा की स्थापना | केन्द्रीय क्षेत्र योजना | भा.सा. सं.प. |
| 5. | आउटगोइंग कल्चरल प्रोग्राम्स | केन्द्रीय क्षेत्र योजना | भा.सा. सं.प. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. | आउटगोइंग प्रदर्शनियां | केन्द्रीय क्षेत्र योजना | भा.सा. सं.प. |
| 7. | विदेशों में हिंदी और संस्कृत भाषा का प्रचार | केन्द्रीय क्षेत्र योजना | भा.सा. सं.प. |
| 8. | योग का प्रचार | केन्द्रीय क्षेत्र योजना | भा.सा. सं.प. |
| 9. | प्रकाशन | केन्द्रीय क्षेत्र योजना | भा.सा. सं.प. |

और कि, इन योजनाओं का उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ( जिन्हें इस्के पश्चात लाभ कहा गया है) जो कि पदाधिकारियों, व्यक्तिगत लाभार्थियों (बाद में सामूहिक रूप से लाभार्थियों के रूप में संदर्भित) को दी जाती है।

और कि, पूर्वोक्त योजना में किया गया व्यय भारत के समेकित कोष में से किया जाता है।

अत:, अब केन्द्रीय सरकार आधार (वितरीय और अन्य सहायिकियों , प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्शियत परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखत को अधिसूचित करती है, अथार्त् :-

1. (1) योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए किसी पात्र एक लाभार्थी को आधार संख्या के प्रमाण्-पत्र प्रस्तुत करने या आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरी करने की आवश्यकता है।

(2) योजना के अधीन प्रसुविधाओं के इच्छुक कोई भी लाभार्थी जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है को 31 मार्च 2019 तक आधार के लिए आवेदन करने की अपेक्षा होगी बशर्ते कि वह आधार अधिनियम की धारा ३ के प्रावधानों के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो। और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र [भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in] पर उपलब्ध सूची देख सकते हैं व नामांकन कर सकते हैं ।

(३) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियमन 12 के अनुसार, परिषद् को उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधा प्रदान करना आवश्यक है जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं हैं और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र नहीं है तो मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से उन्हें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रार के समन्वय से या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार के रुप में सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेवाएगा:

परंतु लाभार्थी आधार नियत किए जाने के समय तक, ऐसे व्यक्तियों को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन योजना के अधीन प्रसुविधाएं दी जाएंगी, अर्थात्: -

अ) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान की पर्ची; या

(ii) आधार नामांकन के लिए किए गए उसके अनुरोध की एक प्रति, जैसा कि नीचे पैरा -पैर2 के उप पैरा 2 में निर्दिष्ट है; तथा

ब) (i) फोटो सहित बैंक पासबुक या पोस्ट ऑफिस पासबुक; या

(ii) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र; या

(iii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(iv) पासपोर्ट; या

(v) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के तहत लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस; या

(vi) राशन कार्ड; या

(vii) MGNREGS कार्ड; या

(viii) किसान फोटो पासबुक; या

(ix) किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी उसके सरकारी लेटर्हेड पर फोटो साहित पहचान जारी प्रमाण-पत्र; या

(x) मंत्रालय या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज;

स) <u>नाबालिगों के मामले में</u>: -

(i) यदि उसने नामांकन किया है, तो उसका आधार नामांकन आईडी की पर्ची; या

(ii) आधार नामांकन के लिए किए गए उसके अनुरोध की एक प्रति, जैसा कि नीचे पैरा 2 के उप-पैरा (2) में निर्दिष्ट है; तथा

(iii) प्रमाण के रूप में निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज: -

(i) जन्म प्रमाणपत्र या उपयुक्त सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए जन्म का रिकॉर्ड; या (ii) राशन कार्ड; या (iii) पासपोर्ट; या (iv) ई सी एच एस कार्ड; या (v) ई एस आई सी कार्ड; या (vi) सी जी एच एस कार्ड; या (vii) सेना का कैंटीन कार्ड; या (viii) कोई सरकारी परिवार पात्रता पत्र; या (ix) मंत्रालय या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

उपरोक्त दस्तावेजों की जाँच, उस उधेश्य के विशेष रूप से परिषद् दुवारा निर्दिष्ट किसी अधिकारी दुवारा की जाएगी ।

2. इस योजना के अधीन लाभार्थियों को सुविधाजनक और बाधारहित सुविधाएं प्रदान करने के लिए मंत्रालय अपने कार्यान्वन अभिकरण के माध्यम से निम्नलिखित सहित सभी अपेक्शित सबंध करेगा, अथार्त् :-

(1) इस योजना के तहत आधार कि अपेक्षा के प्रति लाभार्थियों को जागरूक बनाने के लिए मीडिया के माध्यम से और व्यक्तिगत सूचनाएं देकर व्यापक परिषद् के क्षेत्रिय कार्याल्य दुवारा प्रचार-प्रसार किया जाऐगा और उन्हें सलाह दी जाएगी कि यदि उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है, तो 31 मार्च, 2019 तक अपने क्षेत्रों में उपलब्ध नजदीकी आधार नामांकन केंद्रों में नामांकित कराएं और उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) यदि योजना के तहत लाभार्थी ब्लॉक या तालुका या तहसील निकटतम क्षेत्र में नामांकन केनद्र उपलब्ध नहीं होने के कारण आधार के लिए नामांकन करने में असमर्थ है तो परिषद् यूआईडीएआई के वर्तमान रजिस्टोरों के समन्वय से सुविधाजनक स्थानों में आधार नामांकन सुविधाओं का सृजन करेगा और लाभार्थी से अनुरोध किया जाएगा कि वे आई सी सी आर के संबंधित पदधारियों या इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध वेब पोर्ट्ल माध्यम से अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और पैरा 1 के उप-पैरा (3) के पहले परन्तुक के अन्य ब्यौरे देते हुए आधार नामांकन के लिए अपने-अपने अनुरोध को रजिस्ट्रीकृर्त कराएं।

(3) यदि योजना के तहत लाभार्थियों ने आधार के लिए नामांकन कर लिया है, पर किसी भी कारण से आधार नंबर को पेश करने में सक्षम नहीं हैं, तो परिषद् उसे "सर्च माई आधार" सुविधा यू आई डी एआई के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन की सुविधा से अवगत करयेगा और लाभार्थियों को आधार अधिनियम और प्रावधानों के अधीन आधार नंबर को साझा करने, प्रसारित करने या प्रकाशन पर प्रतिबंध के संबंध में बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत, ऑपरेटर कि सहायता से अपने नाम, पते, मोबाइल नंबर, फिंगर प्रिंट और अन्य विवरण देकर सहायक मोड में अपने आधार की खोज करने का अनुरोध किया जा सकता है।

3. और कि सभी मामलों में, जहां आधार प्रमाणीकरण लाभार्थियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से विफल हो जाता है, निम्नलिखित अपवाद तंत्रों को अपनाया जाएगा, अर्थात्: -

1) खराब फिंगरप्रिंट गुणवत्ता के मामले में, प्रमाणीकरण के लिए IRIS स्कैन सुविधा को अपनाया जाएगा, जिससे संबंधित विभाग (बाद में परिषद् के रूप में संदर्भित) योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा, जो निर्बाध तरीके से अपनी सेवा वितरण एजेंसी के माध्यम से डिलीवरी के लिए फिंगर प्रिंट स्कैनर के साथ IRIS स्कैनर के प्रावधान करेगा।

ब) लाभार्थियों के वरिष्ठ नागरिकों की उंगलियों के निशान या आईरिस प्रमाणीकरण में कठिनाई के मामले में, चेहरा प्रमाणीकरण, का उपयोग किया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार संबंधित विभाग उन वरिष्ठ नागरिकों या उन लाभार्थियों के लिए जहां भी प्रमाणीकरण के अन्य तरीके विफल होते हैं, चेहरे के प्रमाणीकरण की व्यवस्था करेगा।

स) यदि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से फिंगर प्रिंट या आई आर आई एस या चेहरे का प्रमाणीकरण सफल नहीं है, तो जहाँ भी प्रमाणीकरण आधार ओटीपी या समय सीमित टीओटीपी की वैधता के साथ व्यवहार्य और स्वीकार्य होगा, जैसा भी मामला हो, वरीयता में लिया जाएगा; ।

द) अन्य सभी मामलों में जहां बायोमेट्रिक या ओटीपी प्रमाणीकरण संभव नहीं है, सेवाओं या लाभों को भौतिक आधार पत्र के आधार पर दिया जा सकता है, जिसकी प्रामाणिकता को आधार पत्र पर मुद्रित क्यूआर कोड के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है। इसके लिए, योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार संबंधित विभाग आधार पत्र या ई-आधार पर छपे क्यूआर कोड को पढ़ने के लिए क्यूआर कोड रीडर्स को सर्विस डिलीवरी के स्थान पर प्रदान करेगा, जो आधार कार्ड की प्रामाणिकता को ऑफ़लाइन तरीके से सत्यापित करने की अनुमति देता है। यह क्यूआर कोड यूआईडीएआई द्वारा विकसित सुरक्षित क्यूआर कोड रीडर के माध्यम से अधिमानतः पढ़ा जाएगा क्योंकि यह आधार धारक के डिजिटल हस्ताक्षरित विवरण प्रदान करता है। इस तरह के सभी मामलों को अपवाद संचालन तंत्र से रजिस्टर में लेन-देन की विधिवत रिकॉर्डिंग के बाद इस योजनाओं के लिए लाभ या सेवा प्रदान की जा सकती है, जिसे राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के संबंधित विभाग जो कि योजना के कार्यान्वयन के लिये जिम्मेदार समय-समय पर समीक्षा और ऑडिट करेगा। इन रजिस्टरों का रख-रखाव और आवधिक निरीक्षण अपवाद संचालन तंत्र का एक अनिवार्य घटक होगा।

4. यह अधिसूचना जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. क्यू/सीएडी/551/2/19, दिनांक 21.1.19]

अमित कुमार, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

## INDIAN COUNCIL FOR CULTURAL RELATIONS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 2019

**S.O. 641(E).—**Whereas, the use of Aadhaar an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of External Affairs (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is administering following schemes (hereinafter referred to as the Scheme) through Indian Council for Cultural relations (hereinafter referred as ICCR) which are implemented by ICCR under centralized schemes;

| Sr. No. | Name of the Scheme | Type of Scheme | Implementing Agencies |
|---|---|---|---|
| 1 | Chairs for Promotion of Indian Studies in the Universities abroad | Central Sector Scheme | ICCR |
| 2 | Festivals of India abroad | Central Sector Scheme | ICCR |
| 3 | Horizon Series | Central Sector Scheme | ICCR |
| 4 | Installation of Statues and Busts | Central Sector Scheme | ICCR |
| 5 | Outgoing Cultural Programmes | Central Sector Scheme | ICCR |
| 6 | Outgoing Exhibitions | Central Sector Scheme | ICCR |
| 7 | Promotion of Hindi and Sanskrit Language overseas | Central Sector Scheme | ICCR |
| 8 | Promotion of Yoga | Central Sector Scheme | ICCR |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | Publications | Central Sector Scheme | ICCR |

And whereas, the Scheme aims at providing funds, (hereinafter referred to as the benefits) are given to functionaries, individual beneficiaries (hereinafter collectively referred to as the beneficiaries).

And whereas, the aforesaid Scheme involves expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) A beneficiary eligible for receiving the benefits under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any beneficiary desirous of availing the benefits under the Scheme, who is not yet enrolled for Aadhaar, shall have to apply for Aadhaar by 31st March 2019, provided she or he is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the Said Act and such individual may visit any Aadhaar enrolment centre [list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in] for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, ICCR is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil. Ministry shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrars themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individuals, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely:–

(a) (i) if he or she or has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2 below; and

(b) (i) Bank Passbook or Post office Passbook with photo; or

(ii) Voter ID Card; or

(iii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iv) Passport; or

(v) Driving licence issued by the Licencing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(vi) Ration Card; or

(vii) MGNREGS Card; or

(viii) Kisan Photo Passbook; or

(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(x) Any other document as specified by the Ministry or the State Government or the Union Territory Administration;

(c) in case of minors:-

(i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2 below; and

(iii) any one of the following documents as proof of relationship:-

(i) Birth Certificate or Record of Birth issued by appropriate Government Authority; or (ii) Ration Card; or (iii) Passport; or (iv) ECHS Card; or (v) ESIC Card; or (vi) CGHS

Card; or (vii) Army Canteen Card; or (viii) any Government Family Entitlement Card; or (ix) Any other document as specified by the Ministry or the State Government or the Union Territory Administration:

The above documents shall be checked by an officer specifically designated by ICCR for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle-free benefits to the beneficiaries under the Scheme, ICCR through their field networks shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(1) wide publicity through media and individual notices through ICCR's Regional Offices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 31st March, 2019, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) in case, the beneficiaries under the Scheme are not able to enrol for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, ICCR shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned officials specifically designated ICCR or through the web portal provided for the purpose.

(3) in case, the beneficiaries under the Scheme have enrolled for Aadhaar, however, are not able to produce Aadhaar number for any reason whatsoever, ICCR shall provide "*Search My Aadhaar*" facility through UIDAI's Enrolment and Update Client by facilitating Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to search their Aadhaar in assisted mode by giving their names, addresses, mobile numbers, finger prints and other details, with the operator required to search beneficiary's Aadhaar, subject to the provisions of the Aadhaar Act and regulations made there under with respect to restriction on sharing, circulating or publishing of Aadhaar number .

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of beneficiaries or due to any other reason, the following exception handling mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, IRIS scan facility shall be adopted for authentication, thereby the concerned Department (hereinafter referred as ICCR) responsible for implementation of the Scheme shall through its service delivery agency make provisions for IRIS scanners along with finger print scanners for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case of difficulty in fingerprints or iris authentication of senior citizens of the beneficiaries, face authentication shall be used. The concerned Department responsible for implementation of the Scheme shall make arrangements for face authentication wherever feasible, for those senior citizens or those beneficiaries whose other modes of authentication fail.

(c) in case of biometric authentication through finger prints or IRIS or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar OTP or TOTP with limited time validity, as the case may be, shall be preferred; .

(d) in all other cases where biometric or OTP authentication is not possible, services or benefits may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the QR code printed on the Aadhaar letter. For this, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme shall provide QR code readers at point of service delivery to read QR code printed on Aadhaar letter or E-Aadhaar which allows verifying the authenticity of Aadhaar card in an offline manner. This QR code shall preferably be read through Secure QR code reader developed by UIDAI as it provides digitally signed details of Aadhaar Holder. In all such cases the benefit or service may be provided after duly recording the transaction in the exception handling register made for this purpose, which is to be reviewed and audited periodically by the concerned Department

responsible for implementation of the Scheme in the State Government or the Union Territory Administration. Maintenance of these registers and periodic inspection will be an essential component of exception handling mechanism.

4. This notification shall come into force effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories, except the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. Q/CAD/551/2/19 Dated 21.01.2019]

AMIT KUMAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.02.08 18:00:00 +05'30'